न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 20/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/25

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल उदयपुर (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री प्रदीप जैन पुत्र श्री सागरमल जैन मालिक/विक्रेता मैसर्स प्रदीप ट्रेडर्स नया बस स्टेण्ड फोरेस्ट ऑफिस के सामने, परतापुर जिला बॉसवाडा (राज.)
2. श्री सुबोध कुमार गहलोत पुत्र श्री भंवर सिंह गहलोत मालिक/ विक्रेता मैसर्स एस.के इन्टरप्राईजेज, वी–194 इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा, जयपुर (राज.) 302012 स्थायी पता – प्लॉट नं. 200ए, शिवमार्ग, मानसरोवर कोलोनी, झोटवाडा, जयपुर (राज.) 302012

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 31.08.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा हाल उदयपुर (राज) के द्वारा दिनांक 15–06–2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 03–11–2020 को 03.45 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स प्रदीप ट्रेडर्स नया बस स्टेण्ड फोरेस्ट ऑफिस के सामने, परतापुर जिला बॉसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री प्रदीप जैन पुत्र श्री सागरमल जैन** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **बेकरी शोर्टनिंग (जयश्री गोल्ड) के 500एम.एल वाले 3 कार्टून (प्रत्येक कार्टून में 500 एम.एल वाले 30 टीन पैक)** आम जनता को विक्रय हेतु पाये। इसमें मिस ब्राण्डेड, सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर विक्रेता को फार्म नं. 5ए पर मूल ही कम्पनी, पैक, सील बन्द स्थिति में वास्ते जॉच हेतु खरीदने की सूचना दी [illegible] (जयश्री गोल्ड) के **500एम. एल वाले 4 टीन पैकेट** मूल ही कम्पनी पैक [illegible] स्थिति में खरीदी तथा इनकी कीमत 240 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त [illegible] जिस पर विक्रेता तथा [illegible] के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। वास्ते निरी[illegible] खाद्य पदार्थ विक्रय [illegible]/

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:38 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

रजिस्ट्रेशन–2020 का दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा **बेकरी शोर्टनिंग (जयश्री गोल्ड) के 500एम.एल वाले 4 टीन पैकेट** पर फार्म नं.5 ए पर वर्णित सभी जानकारियॉं अंकित पायी गयी। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि.एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा के कोड व सिरीयल नंबर **W-661** नमूना सम्बन्धित जानकारी मय गवाहान एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर चिपकाया। प्रत्येक नमूना टीन पैकेट को नियमानुसार सील बन्द कर अपने जाप्ते में किया। विक्रेता को मौके पर नमुने के चौथे भाग की जॉच NABL Lab से करवाने की जानकारी दी गई। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/285 दिनांक 11.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 262 दिनांक 09.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **बेकरी शोर्टनिंग (जयश्री गोल्ड)** Contravention of Regulation 2.2.2(8).(9) of food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i)(a) के तहत मिस ब्राण्डेड होना पाया। विक्रेता द्वारा **बेकरी शोर्टनिंग (जयश्री गोल्ड)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 16–06–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 31.08.2021 को अभियुक्तगणो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2020/285 दिनांक 11.11.2020 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:38 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 262 दिनांक 09.11.2020 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **बेकरी शोर्टनिंग (जयश्री गोल्ड)** Contravention of Regulation 2.2.2(8).(9) of food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i)(a) के तहत मिस ब्राण्डेड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निरतारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i)(a) के तहत मिस ब्राण्डेड किया गया **बेकरी शोर्टनिंग (जयश्री गोल्ड)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री प्रदीप जैन पुत्र श्री सागरमल जैन मालिक/विक्रेता मैसर्स प्रदीप ट्रेडर्स नया बस स्टेण्ड फोरेस्ट ऑफिस के सामने, परतापुर जिला बॉसवाडा को रूपये 15000/– (अक्षरे रू. पन्द्रह हजार मात्र), श्री सुबोध कुमार गहलोत पुत्र श्री भंवर सिंह गहलोत मालिक/ विक्रेता मैसर्स एस.के इन्टरप्राईजेज, वी–194 इण्डस्ट्रीयल एरिया झोटवाडा, जयपुर को रूपये 30000/– (अक्षरे रू. तीस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner